

भाग-दविकास प्राधिकरण की अम्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र

ताजगंज वार्ड, ताजनगरी योजना द्वितीय चरण के भू0सं0 जी0सी0-1 पर निर्मित भवन के सम्बन्ध में दिए गए उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण श्री फजल अहमद अवर अभियन्ता, श्री शाहिन खालिद अवर अभियन्ता व श्री आलोक रंजन सहायक अभियन्ता, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर Hclan

पदनाम

कार्यालय की मुहर अधिशासी अभियन्ता (भवन)
आगरा विकास प्राधिकरण

दिनांक 29-1-2015

Recd 6089

29/01/15



आगरा विकास प्राधिकरण

विवरण व आदेश

अधिअभि०/मुख्य नगर नियोजक

कृपया ताजनगरी द्वितीय चरण के भू०सं० जी०सी०-1 पर मै० गैंगटिव होटल (प्रा०) लि० को पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति पत्रावली के पृष्ठ संख्या-14 पर दिनांक 06.03.14 को तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गयी है जिसमें यह उल्लेखित है कि मै० गैंगटिव डवलपर्स प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी अतिरिक्त भूमि का प्राधिकरण से नियमानुसार नामान्तरण कराना होगा। नामान्तरण प्रक्रिया हेतु संयुक्त सचिव कार्यालय द्वारा दिनांक 19.01.15 को पत्रांक 1998/डी/सम्पत्ति विभाग/15 के द्वारा नामान्तरण हेतु वांछित धनराशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया था जो पत्रावली पर दायीं ओर संलग्न है। तदक्रम में आवेदक द्वारा म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु रु० 34,430.00 प्राधिकरण कोष में दिनांक 20.01.15 चालान संख्या-6 के द्वारा जमा करा दिया गया है जो पत्रावली पर दायीं ओर संलग्न है।

अतः उपाध्यक्ष महोदय की स्वीकृति दिनांक 06.03.14 के क्रम में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की स्वीकृति हेतु पत्रावली अग्रसारित है।

[Handwritten Signature]
27/1/15
28

[Handwritten Signature]
अधि० अभि० मुख० न० नियोजक,
आगरा

[Handwritten Signature]
27/1/2015
CTP
Chief Town Planner
Agra Development Authority
Agra

[Handwritten Signature]
कृपया उपरोक्त प्रकृत प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुमति के क्रम में पत्रावली अग्रसारित है।
28.1.15
[Handwritten Signature]
29/1/15